उत्तर प्रदेश शासन
महिला कल्याण अनुभाग-1
संख्या-36/2023/528326/60-1005(002)/3/2023
लखनऊ::दिनांक:: 18 अगस्त, 2023
कार्यालय-आदेश

उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष में अपनी सम्बद्धता अवधि (दिनांक 16.03.2020 से दिनांक 22.08.2021) तक एक्स0वाई0जेड0 विक्टिम (रेप पीडिता) थाना-उतरौला जनपद-बलरामपुर को उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान लम्बित रहने तथा अपने पदीय दायित्वों/कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने आदि आरोपों के संबंध में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुये श्री आशुतोष कुमार सिंह, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, निदेशालय, महिला कल्याण के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत एतद्द्वारा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाती है।

2- उक्त विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की जॉच हेतु मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया जाता है। जॉच अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रश्नगत प्रकरण की जॉच करते हुये 01 माह में जॉच आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(अनामिका सिंह)
सचिव

संख्या-36/2023/528326(1)/60-1005(002)/3/2023, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- जिलाधिकारी, लखनऊ।
2- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में अपचारी अधिकारी के विरूद्ध साक्ष्य सहित आरोप-पत्र का प्रारूप शासन को 02 कार्य दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3- जॉच अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण की जॉच समयान्तर्गत पूर्ण करते हुये जॉच आख्या (साफ्ट एवं हार्ड कॉपी में) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4- श्री आशुतोष कुमार सिंह, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- महिला कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।